न्यायालय विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम)/
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, हल्द्वानी जिला नैनीताल।
विशेष सत्र परीक्षण सं0 2/2022
राज्य बनाम लाल देव।

21.03.2024

पुकारा गया। अभियुक्त जेरे हिरासत उपस्थित। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री कलश चन्द्र व राज्य की ओर से विद्वान अभियोजन अधिकारी श्रीमती दीपारानी उपस्थित।

2. अभियोजन की ओर से इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि साक्षी विजय प्रकाश पाण्डेय द्वारा स्वास्थ्य खराब होने एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ होना बताया गया है, जिस कारण उसका साक्ष्य कराया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। उक्त साक्षी को उन्मोचित करने की प्रार्थना की गयी है।

3. उक्त प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त की ओर से घोर आपत्ति होने का पृष्ठांकन किया गया।

4. सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

5. चूंकि अभियोजन के अनुसार साक्षी विजय प्रकाश पाण्डेय को वर्तमान में मानसिक रूप से अस्वस्थ होना बताया गया है जिस कारण अभियोजन इस गवाह को परीक्षित नहीं कराना चाहता है। अतः गवाह विजय प्रकाश पाण्डेय को साक्षी के रूप में परीक्षित कराने से उन्मोचित किया जाता है।

6. पत्रावली शेष अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक 27.03.2024 को पेश हो।

(नीलम रात्रा)
विशेष न्यायाधीश (भ्र0नि0अधि.)/
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
हल्द्वानी, जिला नैनीताल।